प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

युगलपीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

मध्यस्थम् अपील क्रमांक 02/2009

अपीलार्थी : साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : मेसर्स निरंजन सरकार कॉन्ट्रैक्टर्स

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति :

डा. एन. के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री शिव शंकर तिवारी, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री वी. आर. राव, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री ए. के. मिश्रा, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी।

मध्यस्थम् अपील अंतर्गत धारा 37 मध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996

मौखिक आदेश

(दिनांक 21 जून, 2011 को पारित)

<u>द्वारा माननीय राधे श्याम शर्मा, न्यायमूर्ति</u>:

1. यह अपील दिनांक 03-12-2008 को प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा एम. जे. सी. क्र. 28/08 में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके माध्यम से अपीलार्थी/आवेदक द्वारा मध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 (आगे 'अधिनियम, 1996') की धारा 34 के अंतर्गत दायर आवेदन को निरस्त कर दिया गया है।

2. अपील ज्ञापन में किये गये अभिवचन के अनुसार अपीलार्थी/आवेदक का प्रकरण यह है कि मुख्य अभियंता, कुरासिया कोलियरी, चिरमिरी द्वारा 750 क्वार्टरों के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसके लिए प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत निविदा को स्वीकृत किया गया और पक्षकारों के मध्य दिनांक 08-03-1991 को एक करार निष्पादित किया गया। उक्त करार के अनुसार यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निपटारा करार की शर्तों एवं अधिनियम, 1996 के अंतर्गत किया जाएगा। निर्माण कार्य दिनांक 20-05-1992 को पूर्ण हो गया तथा उक्त मकानों का कब्जा अपीलार्थी द्वारा अगस्त 1994 में तथा 106 मकानों का कब्जा मई 1995 में प्राप्त कर लिया गया। रॉयल्टी क्लियरेंस प्रमाणपत्र प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 17-10-1994 को प्रस्तुत किया गया तथा अंतिम बिल अपीलार्थी द्वारा जनवरी 1994 में तैयार किया गया और अंततः दिनांक 12-01-1995 को भुगतान कर दिया गया। अंतिम भुगतान के समय, प्रत्यर्थी ने 'नो-क्लेम प्रमाणपत्र' दिया जिसमें यह घोषित किया गया कि प्रत्यर्थी ने अनुबंधित राशि पूर्ण एवं अंतिम भुगतान के रूप में प्राप्त कर चुका है। अंतिम भुगतान प्राप्त करने के बाद भी, प्रत्यर्थी ने दिनांक 19-05-1995 को अपीलार्थी को एक नोटिस जारी किया और बड़ी धनराशि का दावा किया। परिणामस्वरूप, विवाद को सी. एम. डी., एस. ई. सी. एल. द्वारा श्री जे. पी. ठाकुर, मुख्य अभियंता (सिविल) के पास संदर्भित किया गया, परंतु एकल मध्यस्थ ने प्रकरण को लंबित रखा, जिससे इसे उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया। सिविल पुनरीक्षण क्र. 48/2005 में दिनांक 08-04-2005 के आदेश द्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री के. एल. श्रीवास्तव

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को एकल मध्यस्थ नियुक्त किया गया। एकल मध्यस्थ द्वारा 6.50 लाख रूपये के दावे के विरुद्ध 3.86 लाख रूपये 12 एम.एम. मोटे सीमेंट प्लास्टर के संबंध में प्रदान किए गए। 3 लाख रूपये सीमेंट मूल्य वृद्धि के लिए तथा 2.50 लाख रूपये मद क्रमांक 5 एवं 6 (6 एम.एम. स्टोन चिप्स उपयोग से संबंध) में प्रदान किए गए। इस प्रकार, एकल मध्यस्थ ने कुल 35.03 लाख रूपये ब्याज सहित 15% वार्षिक दर से दिनांक 29-05-2005 तक प्रदान किए तथा यह निर्देश दिया कि यदि राशि 100 दिनों में जमा की जाती है तो ब्याज 12% होगा। मध्यस्थ के उक्त पंचार से आहत होकर, अपीलार्थी ने अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत आपत्ति/आवेदन प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर ने यह आधार लेते हुए कहा कि जब अंतिम भुगतान प्रत्यर्थी द्वारा पूर्ण एवं अंतिम संतुष्टि के साथ प्राप्त कर लिया गया था, तब कोई विवाद अवशेष नहीं रह गया था जिसे मध्यस्थ द्वारा तय किया जाना हो। अतः, माननीय प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर ने अपीलार्थी की धारा 34 अधिनियम, 1996 के अंतर्गत दायर आपत्ति/आवेदन को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि एकल मध्यस्थ द्वारा पारित पंचार, पक्षकारों के मध्य निष्पादित करार की शर्तों तथा नियमों का उल्लंघन नहीं करता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अनावेदक/प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जवाबदावा में अभिवचन किया कि अपीलार्थी ने अपने रुख के संबंध में एकरूपता नहीं रखा रहा है। मध्यस्थम् कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व अपीलार्थी द्वारा लिए गए आधार मध्यस्थ के समक्ष त्याग दिए गए थे। प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष अपीलार्थी द्वारा उठाए गए आधार अपील में नहीं उठाए गए हैं। अंतिम बिल के भुगतान में हुई देरी के कारण बाजार बकाया और अन्य बकाए का भुगतान नहीं हो सका तथा इसका प्रत्यर्थी फर्म के प्रमुख साझेदार श्री निरंजन सरकार के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लंबित बकाया, बैंक और बाजार ऋणों को चुकाने के लिए प्रत्यर्थी पर अत्यधिक दबाव था। प्रमुख भागीदार मानसिक अवसाद के कारण बीमार पड़ गए।

उसके परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी को दबाव और दुराग्रह के अंतर्गत 'नो क्लेम सर्टिफिकेट' के साथ अंतिम बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रत्यर्थी को बिना विकल्प के हस्ताक्षर करने पड़े। प्रार्थना की गई कि अपीलार्थी को यह साबित करने के लिए निर्देशित किया जाए कि एक भी ठेकेदार जिसे भुगतान किया गया हो, उसका प्रमाण प्रस्तुत करे जबकि विरोध करने के बाद भी भुगतान किया गया। यह कहा गया कि माननीय एकल मध्यस्थ द्वारा यह निष्कर्ष निकालना उचित था कि दावा करने वाले/प्रत्यर्थी को अपने सभी दावे प्रस्तुत करने का अधिकार है। मध्यस्थ की अधिकार–सीमा किसी भी ऐसे प्रावधान द्वारा बाधित नहीं है जो ब्याज प्रदान करने पर रोक लगाता हो।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने, पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, अपीलार्थी द्वारा अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि माननीय एकल मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश पक्षकारों के मध्य किए गए करार की शर्तों एवं नियमों के अनुरूप है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एन.के. शुक्ला ने तर्क रखा कि अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा नहीं किया जा सकता। जिले में मूल अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय, अर्थात् जिला न्यायाधीश को ही मध्यस्थम् कार्यवाहियों पर अधिकार प्राप्त है। जिला न्यायाधीश को प्रकरण को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत आवेदन के निराकरण का कोई अधिकार-क्षेत्र प्राप्त नहीं है, अतः माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश अधिकार-क्षेत्र से परे है। अपीलार्थी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क रखा कि अधीनस्थ न्यायालय ने एकल मध्यस्थ द्वारा पंचार पारित करते समय किए गए कदाचार पर

विचार नहीं किया, जो करार के दायरे से बाहर है। माननीय एकल मध्यस्थ द्वारा पारित पंचार पक्षकारों के मध्य संपादित करार की शर्तों एवं नियमों के विपरीत है।

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.आर. राव ने, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई तर्कों को दोहराते हुए, तर्क रखा कि माननीय एकल मध्यस्थ, श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव, जिला न्यायाधीश, बिलासपुर (उस समय), के पिता हैं, अतः श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव, जो उस समय जिला न्यायाधीश, बिलासपुर थे, ने उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के रजिस्ट्रार जनरल से आग्रह किया कि प्रकरण को किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जाए। इस आग्रह पर, प्रकरण प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर, के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया। यह तथ्य अपीलार्थी और उसके अधिवक्ता के ज्ञान में था। उन्होंने आगे तर्क रखा कि माननीय प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर ने अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत अपीलार्थी के आवेदन को उचित रूप से खारिज किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का समर्थन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओ के तर्क श्रवण किये एवं अभिलेखों का अवलोकन किया। हम सर्वप्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार (जूरिस्डिक्शन) के प्रश्न पर विचार करेंगे। अपीलार्थी ने अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश, बिलासपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव, जिला न्यायाधीश, बिलासपुर (तत्कालीन) ने दिनांक 14-03-2008 को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रकरण एम.जे.सी. क्रमांक 28/2007 (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम मेसर्स निरंजन सरकार) के स्थानांतरण हेतु निवेदन पत्र प्रेषित किया, जिसमें अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत एकल मध्यस्थ द्वारा पारित पंचार के विरुद्ध आपत्ति का निर्णय इस

आधार पर किया जाना था कि पंचार देने वाला एकल मध्यस्थ प्रत्यर्थी का पिता है। उक्त निवेदन के दृष्टिगत, एम.जे.सी. क्रमांक 28/2007 को इस उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28-04-2008 के आदेश से श्री एस. खेस्स, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। चूंकि स्थानांतरण आदेश दिनांक 28-04-2008 इस उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था और अपीलार्थी द्वारा उसे चुनौती नहीं दी गई तथा अपीलार्थी निरंतर प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर के समक्ष एम.जे.सी. क्रमांक 28/2007 में उपस्थित होता रहा, अतः दिनांक 28-04-2008 के स्थानांतरण आदेश द्वारा प्रकरण को प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय को हस्तांतरित करना अंतिम हो गया। इस प्रकार, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर पूर्णतः सक्षम था और आक्षेपित आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार रखता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अब विचारणीय प्रश्न यह है कि बिना दावा प्रमाण पत्र (नो क्लेम सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करने के बाद, क्या प्रत्यर्थी आगे कोई दावा प्रस्तुत कर सकता है? अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के समक्ष "नो क्लेम सर्टिफिकेट" प्रस्तुत किया था तथा अपनी पूर्ण संतुष्टि के आधार पर भुगतान की प्राप्ति स्वीकार की थी, इसलिए एकल मध्यस्थ द्वारा पारित पंचार उसकी (मध्यस्थ की) क्षेत्राधिकार से परे है और केवल इसी आधार पर, उक्त पंचार निरस्त किये जाने योग्य है।

9. ***आर.एल.कलथिया एंड कंपनी बनाम गुजरात राज्य, (2011)2 एससीसी 400*** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 12 और 13 में निम्न प्रकार अवधारित किया है:

"12. ***नेशनल इनशुरंस कंपनी लिमिटेड बनाम बोघरा पालीफैब प्राइवेट लिमिटेड, (2009) 1 एससीसी 267*** में, संबंधित प्रश्न यह था कि बीमित द्वारा पूर्ण और अंतिम भुगतान वाउचर बीमाकर्ता को प्रदान करने के बाद उत्पन्न विवाद को क्या मध्यस्थम्

के लिए भेजा जा सकता है? एससीसी की कंडिका 26 में निम्न निष्कर्ष सुसंगत है: (एससीसी पृष्ठ 284-85)

"26. जब हम संविदा के उन्मोचन का उल्लेख ऐसे करार से करते हैं जिस पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों अथवा किसी एक पक्ष द्वारा पूर्ण और अंतिम भुगतान वाउचर/प्राप्ति रसीद जारी की गई हो, तो हम ऐसे करार या भुगतान वाउचर का उल्लेख उससे करते हैं जो विधिपूर्वक तथा स्वेच्छा से निष्पादित किया गया हो। यदि वह पक्ष, जिसने भुगतान करार या भुगतान वाउचर निष्पादित किया है, यह आरोप लगाता है कि उक्त भुगतान करार या वाउचर का निष्पादन दूसरे पक्ष द्वारा किए गए धोखाधड़ी/दबाव/अनुचित प्रभाव के कारण हुआ है तथा वह पक्ष इसे सिद्ध करने में सक्षम है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे करार/वाउचर द्वारा संविदा का उन्मोचन शून्य (void) माना जाएगा और उस पर कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। परिणामस्वरूप, ऐसे पक्ष द्वारा उठाया गया कोई भी विवाद मध्यस्थता योग्य होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उपर्युक्त निष्कर्षों से निम्न सिद्धांत उभरते हैं:

(i) केवल इस आधार पर कि ठेकेदार ने "नो-ड्यूज सर्टिफिकेट" जारी किया है, यदि कोई स्वीकार्य दावा है तो न्यायालय केवल "नो-ड्यूज सर्टिफिकेट" जारी होने के आधार पर उसे अस्वीकार नहीं कर सकता।

(ii) चूंकि यह सामान्यतः होता है कि जब तक ठेकेदार द्वारा अग्रिम में उन्मोचन प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता, बिलों का भुगतान प्रायः विलंबित होता है, अतः संविदा में ऐसी शर्त होना ठेकेदार को बाद में किसी वास्तविक दावे को प्रस्तुत करने से पूर्णतः नहीं रोकता, भले ही उसने "नो-क्लेम सर्टिफिकेट" प्रस्तुत कर दिया हो।

(iii) एक पक्ष द्वारा पूर्ण और अंतिम भुगतान वाउचर/रसीद निष्पादित किए जाने के बाद भी, यदि वह पक्ष यह स्थापित करने में सक्षम है कि वह आगे किसी अतिरिक्त राशि के

लिए पात्र है और उसके पास इसके पर्याप्त आधार हैं, तो केवल इस कारण से कि उसने अंतिम बिल स्वीकार कर लिया या "नो-ड्यूज सर्टिफिकेट" जारी किया, उसे उस अतिरिक्त राशि के लिए दावा करने से अपवर्जित नहीं माना जाएगा।"

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये उपरोक्त सिद्धांतो से यह विधि स्पष्ट रूप से स्थापित है कि "नो-क्लेम सर्टिफिकेट" अंतिम और निर्णायक नहीं होता, जब अन्य दावों की पूर्णतः उपेक्षा कर दी गई हो या "नो-क्लेम सर्टिफिकेट" प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रदान किया गया हो, सामान्य परिस्थिति में नहीं। वर्तमान मामले में प्रतीत होता है कि "नो-क्लेम सर्टिफिकेट" मुद्रित प्रपत्र का एक भाग था, जिस पर उन्हें हस्ताक्षर करने थे, किसी भाग को निरस्त या विलोपित किये बिना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. ***दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम आर.एस. शर्मा एंड कंपनी, नयी दिल्ली, (2008) 13 एससीसी 80*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न अनुसार अवधारित किया:

"17. धारा 34 की उपधारा (2) में वर्णित आधार/परिस्थितियों पर इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में विचार किया है। ***ग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ उड़ीसा लिमिटेड बनाम बालासूर टेक्निकल स्कूल, (2000) 9 एससीसी 552*** में इस न्यायालय ने कंडिका 3 में निम्न अनुसार अभिनिर्धारित किया: (एससीसी पृ. 556-57)

"3. इस मामले में उच्च न्यायालय का मत है कि सिविल न्यायालय पंचार के विरुद्ध अपील के रूप में नहीं बैठता और जब पंचार को चुनौती दी जाती है, न्यायालय की शक्ति काफी सीमित रहती है। मध्यस्थ का पंचार सामान्यतः अंतिम और निर्णायक होता है जब तक कि मध्यस्थ अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर और न्यायसंगत प्रक्रिया के अनुसार कार्य करता है। मध्यस्थ का पंचार आमतौर पर पक्षकारों के बीच बाध्यकारी माना जाता है क्योंकि वह पक्षकारों द्वारा चुना गया अधिकरण होता है और न्यायालय की शक्ति केवल उन मामलों

तक सीमित है जो मध्यस्थम् अधिनियम की धारा 30 में उल्लिखित हैं। न्यायालय मध्यस्थ के पंचार के पीछे की सोच पर अनुमान नहीं लगा सकता यदि मध्यस्थ ने कोई कारण नहीं बताया है। यदि विवाद मध्यस्थम् खंड के दायरे में आता है, तो न्यायालय का विवाद के गुण-दोष पर विचार करना उसका कार्य नहीं है। यदि पंचार संदर्भ की सीमा से बाहर चला जाता है या उसमें स्पष्ट त्रुटि दृष्टिगोचर होती है, तो न्यायालय ऐसे पंचार में हस्तक्षेप कर सकता है। ....."”

12. उपर्युक्त विधिक सिद्धांतों से यह स्पष्ट होता है कि मध्यस्थ द्वारा पारित पंचार सामान्यतः अंतिम एवं निर्णायक होता है जब तक कि मध्यस्थ अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए तथा न्यायसंगत सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। मध्यस्थ का निर्णय पक्षकारों के मध्य बाध्यकारी माना जाता है क्योंकि वह पक्षकारों द्वारा चयनित अधिकरण है। अब वर्तमान प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या एकल मध्यस्थ ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है या मध्यस्थम् की सीमा से परे चला गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उपरोक्त सिद्धांतों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के प्रकाश में, हम इस निष्कर्ष पर हैं कि वर्तमान प्रकरण में एकल मध्यस्थ द्वारा पारित पंचार एक सुविचारित और स्पष्ट तर्कपूर्ण पंचार है तथा वह उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर ही है। अभिलेखों में कहीं ऐसा प्रमाण नहीं है जो दर्शाए कि मध्यस्थ ने अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया हो या मध्यस्थम् से परे जाकर निर्णय दिया हो। अतः प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश, जिसके द्वारा अपीलार्थी की धारा 34, अधिनियम 1996 के अंतर्गत आपत्ति/आवेदन को खारिज किया गया, किसी त्रुटि से ग्रस्त नहीं है तथा इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता।

14. परिणामस्वरूप, अपीलाधीन आदेश, जो त्रुटिरहित है, की पुष्टि की जाती है तथा अपील खारिज की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

हस्ताक्षरित/- हस्ताक्षरित/-

सतीश के.अग्निहोत्री **राधे श्याम शर्मा**

न्यायमूर्ति **न्यायमूर्ति**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ..... RANJAN GUPTA, ADVOCATE

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur